



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, के अंतर्गत डा. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय
महू हेतु सह-प्राध्यापक के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 03/2018/ 03.05.2018

उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय,

मध्य प्रदेश शासन

ऑनलाइन आवेदन करने की

अंतिम तिथि 14.06.2018

महत्वपूर्ण

- 1- मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत डा. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू हेतु विभिन्न विषयों के सह-प्राध्यापक के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
- 2- आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जायेंगे। आवेदन पत्र दिनांक 15.05.2018 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 14.06.2018 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते हैं।
- 3- आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ उनकी पात्रता से संबंधित सभी अभिलेख यथा शैक्षणिक अर्हता की हाईस्कूल से लेकर अनिवार्य अर्हता तक की सभी अंकसूचियां, उपाधियां, जाति प्रमाण-पत्र, निःशक्तता प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र आदि को अपलोड करें। आवेदन शुल्क का भुगतान करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करें तथा आवेदन पत्र में उल्लेखित भुगतान विवरण से यह सुनिश्चित कर लें की शुल्क भुगतान हो गया है। उक्त ऑनलाइन आवेदन को सम्हालकर रखें। आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें एवं तदनुसार पर्याप्त समय पूर्व आवेदन पत्र भरें।
- 4- आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदनपत्रों में दिनांक 21.05.2018 से दिनांक 16.06.2018 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटि सुधार हेतु एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन सरसरी तौर पर अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
- 5- विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें, ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिये गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते, मोबाइल नंबर तथा आधार नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करें।
- 6- आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आये और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।

भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, के अंतर्गत डा. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महु हेतु निम्नलिखित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्रमांक	विषय	रिक्त पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	कुल	UR	SC	ST	OBC
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	अपराधशास्त्र	1	0	0	0	1	0	0	0	0
2	अर्थशास्त्र	2	1	1	0	4	1	0	0	0
3	शिक्षा शास्त्र	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4	पर्यावरण विज्ञान	1	1	1	0	3	0	0	0	0
5	भूगोल	0	0	0	1	1	0	0	0	0
6	इतिहास	1	0	0	0	1	0	0	0	0
7	जर्नलिज्म	0	0	1	0	1	0	0	0	0
8	विधि	1	0	0	0	1	0	0	0	0
9	लायब्रेरी साइंस	0	1	0	0	1	0	0	0	0
10	मेनेजमेन्ट	1	0	0	0	1	0	0	0	0
11	सेन्य विज्ञान	0	0	0	1	1	0	0	0	0
12	राजनीति शास्त्र	2	1	1	0	4	1	0	0	0
13	मनोविज्ञान	2	0	1	1	4	1	0	0	0
14	सोशल वर्क	2	1	1	0	4	1	0	0	0
15	समाजशास्त्र	2	1	0	1	4	1	0	0	0
	योग	15	6	6	5	32	5	0	0	0

Abbreviations : UR- Unreserved, SC- Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, OBC- Other Backward Classes (Non Creamy Layer)

दो पद का विवरण

01	पद का नाम	:	सह प्राध्यापक (Associate Professor)
	विभाग का नाम	:	उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत डा. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महु
	श्रेणी	:	राजपत्रित प्रथम श्रेणी
	पद स्थिति	:	स्थायी
	वेतनमान	:	रुपये 37400-67000 + 9000 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	शैक्षणिक कार्य

तीन शैक्षणिक अर्हता : यू. जी. सी. रेग्यूलेशन 2010 के अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर की शैक्षणिक अर्हता सीधी भर्ती हेतु निम्नानुसार है :-

1. U.G.C. Regulation 2010

4.3.0 Associate Professor:

- Good academic record with a Ph.D. Degree in the concerned/allied/relevant disciplines.

- ii A Master's Degree with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed).
- iii A minimum of eight years of experience of teaching and/or research in an academic/research position equivalent to that of Assistant Professor in a University, College or Accredited Research with evidence of published work and a minimum of 5 publications as books and/or research/policy papers.
- iv Contribution to educational innovation, design of new curricula and courses, and technology - mediated teaching learning process with evidence of having guided doctoral candidates and research students.
- v A minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) based Performance Based Appraisal System (PAS), set out in this Regulation in Appendix III.

2 4.3.5. Minimum Qualifications for Appointment of Teaching Faculty in Universities and Colleges-Management/Business Administration :

- i Consistently good academic record with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) in Master's Degree in Business Management / Administration / in a relevant management related discipline or first class in two years full time PGDM declared equivalent by AIU / recognized by the AICTE / UGC;

OR

First Class graduate and professionally qualified chartered accountant / Cost and Works Accountant / Company Secretary of the concerned statutory body.

- ii Ph.D. Or fellow of Indian Institute of management or of an Institute recognized by AICTE and declared equivalent by the AIU.
- iii A minimum of eight year's experience of teaching / industry / research / professional at managerial level excluding the period spent for obtaining the research degree.

OR

- iv In the event the candidate is from industry and the profession, the following requirements shall constitute as essential requirements:

- 1 Consistently good academic record with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) in Master's Degree in Business Management / Administration / in a relevant management related discipline or first class in two years full time PGDM declared equivalent by AIU / recognized by the AICTE / UGC,

OR

First Class graduate and professionally qualified chartered accountant / Cost and Works Accountant / Company Secretary of the concerned statutory body.

- 2 A minimum of ten years experience of teaching industry / research / profession, out of which five years must be at the level of Assistant Professor or equivalent excluding the period spent for obtaining research degree. The candidate should have Professional work experience, which is Significant and can be recognized at national / international level as equivalent to Ph.D. and ten years managerial experience in industry / profession of which at least five years should be at the level comparable to that of lecturer / assistant professor.
- v Without prejudice to the above, the following conditions may be considered desirable:

- Teaching, research industrial and / or professional experience in a reputed organization;
- Published work, such as research papers, patents field / obtained, books and / or technical reports; and
- Experience of guiding the project work / dissertation of PG / Research Students or supervising R&D projects in industry.

- टीप-** (1) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त अर्हताये ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिये आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित पदों हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।
- (2) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा ऑनलाइन परीक्षा की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुये पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।
- (3) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परीक्षा पर की जायेगी।
- (4) किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।
- (5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) हेतु आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) हेतु आरक्षित है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) के रूप में मान्य है, आरक्षण हेतु पात्र नहीं है। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) के अभ्यर्थियों को यह घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा की वे क्रीमी लेयर में नहीं आते।
- (6) मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी (गैर क्रीमी लेयर) के अभ्यर्थी अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।
- (7) मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

चार मध्य प्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

पांच महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छ: आयु सीमा: पद हेतु निर्धारित अधिवार्षिकी आयु पूर्ण नहीं होनी चाहिए।

सात
आठ

अधिवाषिकी आयु :- 65 वर्ष

चयन प्रक्रिया :- चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। साक्षात्कार हेतु निम्न प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित की जाएगी:-

पद संख्या	अभ्यर्थियों की संख्या जब कालम 03 में विहित रीति से शार्टलिस्टिंग नहीं की जाएगी	अभ्यर्थियों की संख्या कालम 02 में उल्लिखित संख्या से अधिक होने पर शैक्षणिक अर्हता / अनुभव के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या
01	02	03
1	20	10
2	30	15
3	40	20
4-10	10 गुने	06 गुने

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित श्रेणी हेतु 41% तथा मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप:-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या किसी भी विषय में 500 से अधिक होने पर लिखित परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना विभिन्न प्रवर्गों के आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय "रोजगार एवं निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में आवेदकों को परीक्षा शुल्क का पृथक से भुगतान करना होगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि / लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

नौ आवेदन प्रक्रिया :- उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किये जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट -2 का अवलोकन करें।

दस आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर ही आयोग द्वारा समस्त पत्र व्यवहार किया जाएगा। यदि आवेदक का वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तित होता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक को चाहिये कि वह अविलंब नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना आयोग को लिखित में प्रस्तुत करे। आवेदक द्वारा वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तन की स्थिति में नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना न देने पर समस्त पत्र-व्यवहार पुराने वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर किया जायेगा जिसके फलस्वरूप आवेदक को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में आवेदक का कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

बारह आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(1) आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारीयां परिशिष्ट -1

88

सचिव

88

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1- ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

- 1- उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे
 1. www.mponline.gov.in
 2. www.mppsc.com
 3. www.mppsc.nic.in
- 2- आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोस्क पर ही आवेदन/ परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें तथा आवेदन पत्र की भलीभांति जांचकर सुनिश्चित कर लें की भुगतान हो चुका है। mponline के अधिकृत कियोस्कों की सूची www.mponline.gov.in, www.mppsc.com तथा www.mppsc.nic.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।
- 3- आवेदक अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा यूनियन बैंक के नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
- 4- आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्कैन फाइले तथा उनकी पात्रता से संबंधित सभी अभिलेख यथा शैक्षणिक अर्हता की हाईस्कूल से लेकर अनिवार्य अर्हता तक की सभी अंकसूचियां, उपाधियां, जाति प्रमाण-पत्र, निःशक्तता प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र आदि तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय अपलोड करना होगा। mponline के अधिकृत कियोस्क पर स्कैनिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।
- 5- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिये कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध अनुदेशों तथा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर तदनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरें।
- 6- आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।
- 7- आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात् उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा ।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र submit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8-

त्रुटि सुधार सुविधा :- अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 21.05.2018 से 16.06.2018 तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा। अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क रु. 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु रु. 250 निर्धारित है अतः आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपये 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा।

09-

आवेदक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2- आवेदन शुल्क

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) तथा निःशक्तजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रु. 250/-	रु.500/-
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त निम्नानुसार पोर्टल शुल्क देय होगा :-	
कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने पर	रु. 150 (GST सहित)
स्वयं द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने पर	रु. 100 (GST सहित)
- ऑनलाइन परीक्षा की स्थिति में परीक्षा शुल्क का भुगतान पृथक से करना होगा शुल्क वापसी:- अपरिहार्य कारणों से विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन शुल्क वापसी आवेदन प्राप्त कर आवेदन शुल्क की राशि वापस की जाएगी किन्तु पोर्टल शुल्क की राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी।	

आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो mponline से निम्न दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं :-

हेल्पलाइन - 0755-4019400

नोट :

यदि आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गए दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें :-

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (0731) 2701624, 2701983
एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड, निरूपम शापिंग माल, द्वितीय तल अहमदपुर, होशंगाबाद रोड,
भोपाल-422026 हेल्पलाइन - 0755-4019400

3- आवेदन की अंतिम तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14.06.2018 है। अंतिम तिथि को रात्रि 12:00 बजे के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

4- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की स्कैन प्रतियां आवश्यक रूप से अपलोड करें:-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/ सेमेस्टर्स की अंक सूचियां एवं उपाधि ।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए । इस प्रमाण पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जायेगा। विवाहित महिलायें विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा ।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात् अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र अपलोड करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ----- आयोग के विज्ञापन क्रमांक 03/2018 दिनांक 03.05.2018 के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ

1. मैं -----पुत्र/पुत्री श्री----- निवासी ग्राम/कस्बा/ शहर/-----जिला -----, मध्य प्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मैं -----जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7-28/2009/आ.प्र./एक , भोपाल, दिनांक 02 नवंबर 2017 में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात् क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/ आती हूँ।

दिनांक :- -----

हस्ताक्षर.....

नाम.....

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्कैनड प्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड करें)

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

शासकीय/निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/ सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

- 5- जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवा में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

6- अनुशासनिक निर्देश :- (ऑनलाइन परीक्षा संबंधी अनुदेश ऑनलाइन परीक्षा की स्थिति में)

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

- 01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
- 02 प्रतिरूपण किया हो; या
- 03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
- 04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हो, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
- 05 ऐसे कथन दिये हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या
- 06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हों; या
- 07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हों या करने का प्रयास किया हों; या
- 08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हों या धमकाया हों या शारीरिक छति पहुंचाई हों; या
- 09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिये दिये गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिये गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हों; या
- 10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,
- 11 परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिका परीक्षा के समाप्त होने पर परीक्षा कक्ष के वीक्षक / परीक्षक को न जमा करते हुये अपने साथ ले गया हों।

तब आयोग द्वारा :-

- (क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहराया जा सकेगा और/ या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।
- (ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उसपर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुसंशा की जाएगी।
- (ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7- अनर्हताये:- ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8- यात्रा व्यय का भुगतान :-

मध्य प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जो कहीं सेवारत नहीं हैं, मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का आयोग कार्यालय द्वारा किया जायेगा। आवेदकों को इसके लिये वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे :-

- (01) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
- (02) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी है तथा किराये की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हों।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, स्वयं के बैंक खाते का नम्बर, एवं बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्कैन प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।